16/3

CT. 1426/72

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA DATED 11TH SEPTEMBER, 1971 PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i) AS G.S.R. No.1279.

....

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEE & MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
(DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)

... New Delhi, the 22nd July, 1971
Asadha 31, 1893 Saka.

NOTIFICATION

GSR.1279

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (First Amendment) Rules, 1971.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 -

   (i) in rule 14, in sub-rule (1), in clause (Vii)-

   (a) for the firstproviso the following provisor shall be substituted, namely:-

   "Provided that the StateGovernment shall not give its sanction unless-

   (a) the licensee has furnished an affidavit alongwith application for transfer of the prospecting licence specifying therein the amount that he has already taken or proposed to take as consideration from the transferee;

   (b) the transfer of the prospecting licence is to be made to a person or body directly undertaking prospecting operation;

   (ii) in Schedule I, in Form 'F', in Part IV, in Clause (1), -

---2/-

(a) the words "which, in respect of any mineral/ minerals specified in the First Schedule of the Act will be granted after obtained prior approval of the Central Government", shall be omitted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely

"provided that the State Government shall not give its sanction unless-

(i) the licensee has furnished an affidavit alongwith his application for transfer of the prospecting licence specifying therein the amount that he has already taken or proposes to take as consideration from the transferee;

(ii) the transfer of the prospecting licence is to be made to a person or body directly undertaking prospecting operations".

File No. 1(33)/67-MVI (Vol. II)

Sd/- A. Sethumadhavan
Under Secretayr to the Govt. of India.

16/3

भारत के राजपत्र, तारीख 11 सितम्बर, 1971, के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा० का० नि० 1279 के रूप में प्रकाशित ।

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1971

31 आषाढ़, 1893 शक

अधिसूचना

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 के और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में :-

(i) नियम 14, उप-नियम (1), खण्ड (vii) में -

(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

" लेकिन राज्य सरकार तब तक अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक कि-

(i) अनुज्ञप्ति-धारी ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए अपने आवेदन के साथ शपथ-पत्र नहीं दिया है जिसमें अन्तरिती से प्रतिफल के रूप में पहले ही ली गई या लेने के लिए प्रस्तावित राशि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है ।

(ii) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का अन्तरण उस व्यक्ति या निकाय को नहीं किया है जो सीधे पूर्वेक्षण संक्रिया कर सकें ;

(ii) अनुसूची I में, प्ररूप 'च' में, भाग IV में खण्ड (1) में --

(क) "जो, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज/खनिजों के बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात ही अनुदत्त किया जाएगा", शब्दों को लुप्त किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"लेकिन राज्य सरकार तब तक अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक कि ---

(i) अनुज्ञप्ति-धारी ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए अपने आवेदन के साथ शपथ-पत्र नहीं दिया है जिसमें अन्तरिती से प्रतिफल के रूप में पहले ली गई या लेने के लिए प्रस्तावित राशि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो ;

(ii) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का अन्तरण उस व्यक्ति या निकाय को नहीं किया है जो सीधे पूर्वेक्षण संक्रियाएं कर सकें" ।

फाईल सं० 1(33)/67 खान 6(भाग II)

ह०

(ए० सेतुमाधवन)

अवर सचिव, भारत सरकार